RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Entrepreneur First

राजस्थान वित्त निगम
मुख्यालयःउद्योग भवन,तिलक मार्ग,सी–स्कीम,जयपुर
H.O.: Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR-302005
Ph.No.0141-2385522 FAX-0141-2385503
E-mail:sanjaylahri@rfc.rajasthan.gov.in

क्रमांकः आरएफसी/पीए–1 (7)/1753 दिनांक 21.01.2019

–: कार्यालय आदेश :–
(का एवं प्र-751)

राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6)न्यू.वे./श्रम/ 2000/पार्ट/11905 दिनांक 07.06.2018 के अनुसार अनुसूची भाग–। एवं भाग–।। में सम्मिलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षित की है ।

श्रमिकों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	5538/–	213/–
अर्द्धकुशल	5798/–	223/–
कुशल	6058/–	233/–
उच्च कुशल	7358/–	283/–

अतः निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को देय मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2018 से निम्नानुसार परिवर्तित की जाती है ।

टिप्पणियॉं

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपुर्यक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में निगत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का देतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घन्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा ।
6. (क) **अकुशल** (unskilled)कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य सम्बन्धी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं है, सम्मिलित है। 2 वर्ष कार्य करने के बाद ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे ।

क्रमश——2

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Entrepreneur First

राजस्थान वित्त निगम
मुख्यालयःउद्योग भवन,तिलक मार्ग,सी–स्कीम,जयपुर
H.O.: Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR-302005
Ph.No.0141-2385522 FAX-0141-2385503
E-mail:sanjaylahri@rfc.rajasthan.gov.in

(ख) **अर्द्धकुशल** (semi-skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य सम्बन्धी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है। अर्द्धकुशल श्रेणी में सम्मिलित समस्त कामगार 3 वर्ष कार्य करने के बाद कुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे ।

(ग) **कुशल** (skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य सम्बन्धी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है। कुशल कामगार जिसने या तो 5 वर्ष कुशल श्रमिक की तरह उक्त पद का कार्य अनुभव या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताऐं अर्जित कर ली है, जो भी पहले हो, वह उच्च कुशल कामगार के समकक्ष दरों से मजदूरी पाने का अधिकारी होगा ।

(घ) **उच्च कुशल** (highlyskilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है ।

7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
8. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी(अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
9. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 01.10.2016 से 31.08.2017 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 150 अंक हैं ।
10. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा ।
11. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2018 से लागू होगी ।

(गौरव चतुर्वेदी)
कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपि:

1. समस्त शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम
2. मुख्यालय में मानक परिचालन